

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 542]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2010—आश्विन 13, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-3-ए-6-2008-1-पांच (85).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, कपास (बिना ओटी हुई या ओटी हुई) को, जिसका किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, मिश्रित यार्न के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिये किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च 2011 तक की कालावधि के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन कर के संदाय से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-ए-3-6-2008-1-पांच (85).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-6-2008-1-पांच (85) दिनांक 4 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th October 2010

F. No. 3-A-6-2008-1-V-(85).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Shthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts cotton (unginned or ginned), which is entered by a registered dealer into a local area for use or consumption as raw material in manufacture of blended yarn, from payment of tax under the said Act for the period from the date of publication of this notification to 31st March 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-3-ए-6-2008-1-पांच (86).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-08-1-पांच (8) दिनांक 27 मार्च 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, संलग्न घोषणा में, शब्द “कपास/रूई या” का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-ए-3-6-2008-1-पांच (86).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-6-2008-1-पांच (86) दिनांक 4 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th October 2010

F. No. 3-A-6-2008-1-V-(86).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F-A-3-08-1-V-(8) dated 27th March 2008, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the appended declaration, the words "cotton fibre or" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.